



2026:AHC:10293

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 327 वर्ष 2026

शाहीद इकबाल एवं 8 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	गुलरेज़ खान, परवेज़ हुसैन खान
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:	सी. एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री गुलरेज़ खान, तथा राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता, श्री राहुल मालवीय, को सुना गया।
2. विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि निर्देश पर्याप्त हैं और वे इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं।
3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उन्हें शुरू में वर्ष 1995 में उर्दू अनुवादक/कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था और वे 31.10.2023 और 30.09.2025 को सेवानिवृत्त हुए। रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पद के उन्नयन पर, वेतनमान समय-समय पर बढ़ाया गया और अंत में 12.07.2021 को हुई अपनी बैठक में छानबीन समिति की सिफारिश/विचार के आधार पर 19.07.2021 को याचिकाकर्ताओं को एसीपी प्रदान किया गया। अपनी सेवानिवृत्ति के समय, रिट याचिकाकर्ताओं को 9300-34800 रुपये की वेतनमान और 4600 रुपये का वेतन वर्ग मिल रहा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



था। हालाँकि, 09.12.2025 को, प्रत्यर्थी संख्या 3, जिला विकास अधिकारी, बुलंदशहर द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें 19.07.2021 के आदेश को इस आधार पर वापस ले लिया गया कि याचिकाकर्ताओं को एसीपी गलत तरीके से प्रदान किया गया था। उक्त कार्रवाई आयुक्त ग्राम विकास, उ.प्र., लखनऊ के दिनांक 23.07.2025 के पत्र और दिनांक 10.08.2022 के कार्यालय आदेश के आधार पर की गई थी।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 के दिनांक 09.12.2025 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से वेतनमान का पुनःनिर्धारण तथा उसके परिणामस्वरूप की गई वसूली, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और यह एकपक्षीय कार्रवाई है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश को इस सीधे से कारण से कायम नहीं रखा जा सकता कि यह धोखाधड़ी या तथ्यों को छिपाने का मामला नहीं है, और इसके अलावा, पूरी कार्रवाई एकतरफा है और याचिकाकर्ताओं की पीठ पीछे की गई है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइटवॉशर) 201 एआईआर (एससी) 1267 और थॉमस डैनियल बनाम केरल राज्य और अन्य (2022) लाइव्लॉ (एससी) 438**, पर भरोसा जताया है। इसके अतिरिक्त, **भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य (1994) 6 एससीसी 154** के निर्णय पर भी भरोसा जताया गया है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं को सूचना दिए बिना कोई वसूली नहीं की जा सकती थी।

7. विद्वान शासकीय अधिवक्ता का यह निवेदन है कि यद्यपि नियोक्ता के लिए यह सदैव खुला रहता है कि वह अपनी भूल को सुधार ले और उस राशि को वसूल कर ले, जो प्रदान कर दी गई थी, जबकि उसे प्रदान नहीं किया जाना चाहिए था; तथापि, उनके अनुसार, औचित्य की यह मांग थी कि रिट याचिकाकर्ता को इस संबंध में सूचना दी जानी चाहिए थी।

8. मैंने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. ज़ाहिर है, रिट याचिकाकर्ताओं को 31.10.2023 और 30.09.2025 को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले लाभ दिए गए थे; हालाँकि, सेवानिवृत्ति के बाद, 09.12.2025 के आदेश के आधार पर अब उन्हीं लाभों की वसूली की जा रही है।



10. न्यायालय की राय में, भले ही यह ऐसा मामला हो जिसमें सेवानिवृत्ति से पहले वेतनमान को फिर से तय करने की प्रक्रिया शुरू की गई हो, फिर भी कम से कम रिट याचिकाकर्ता को इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी और **रफ़ीक़ मसीह (उपर्युक्त)** तथा **थॉमस डेनियल (उपर्युक्त)** मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को ध्यान में रखते हुए एक सोच-समझकर फैसला लिया जाना चाहिए था।

11. **भगवान शुकला (उपर्युक्त)** में, निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

“3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान पक्षों के तर्क सुने हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह तय किया गया था। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 1991 में, 18.12.1970 से पूर्वव्यापी प्रभाव से, 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से वित्तीय परिणामों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में की गई कटौती के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा उसका वेतन घटाए जाने से पहले उसे कोई सूचना भी नहीं दिया गया, और यह आदेश उसकी पीठ पीछे, विधि में ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित कर दिया गया। इस प्रकार, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है, और अपीलकर्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिए भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। कार्य-व्यवहार में निष्पक्षता की यह मांग है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी को वित्तीय परिणामों का सामना करना पड़े, संबंधित व्यक्ति को सूचना दिए बिना और मामले में उसकी सुनवाई किए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए 25.7.1991 का वह आदेश (ज्ञापन), जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से कायम नहीं रखा जा सकता था; अतः केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करके त्रुटि की है। न्यायाधिकरण का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश को, तथा साथ ही न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दिए गए दिनांक 25.7.1991 के उस आदेश (ज्ञापन) को भी निरस्त करते हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।”

12. तदनुसार, रिट याचिका का **निस्तारण** निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:

क. जिला विकास अधिकारी, बुलंदशहर (प्रत्यर्थी संख्या 3) द्वारा दिनांक 09.12.2025 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। यह मामला संबंधित अधिकारियों को वापस भेजा जाता है, ताकि



वे रिट याचिकाकर्ताओं को सूचना जारी करने और उनका जवाब मांगने के बाद एक नया आदेश पारित कर सकें।

ख. यह पूरी प्रक्रिया दो महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। इसके बाद, रिट याचिकाकर्ताओं को उनके सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान भी किया जाएगा, जो कि आगे पारित किए जाने वाले आदेशों के परिणाम पर निर्भर करेगा।

जनवरी 16, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.